

## आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई  
कार्रवाई के बारे में  
टिप्पणी तारीख सहित

2

3

अभिलेख उपस्थापित।

23

(1.) कैलाश राम पिता स्व० रूपलाल राम,  
(2.) गणेश राम पिता स्व० पुनित राम, (3.) किशोरी पासवान  
पिता स्व० लालो राम, निवास स्थान ग्राम-गदोखर, पोस्ट-कदमा,  
थाना-कटकमसांडी, जिला-हजारीबाग द्वारा छेटानागपुर कास्तकारी  
अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अन्तर्गत अंचल-कटकमसांडी,  
मौजा-गदोखर, थाना नं०-81, खाता संख्या-82, प्लॉट संख्या-1992,  
रकबा 0.06 एकड़ (06 डिसमिल) (छः डिसमिल) भूमि गीता देवी  
पति बिनोद रजक पिता रामनाथ रजक, निवास स्थान  
ग्राम-बड़कागाँव, धोबी टोला, पोस्ट वो थाना-बड़कागाँव,  
जिला-हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री करने हेतु आवेदक एवं  
प्रस्तावित केता का जाति, आवासीय प्रमाण-पत्र की छायाप्रति तथा  
भूमि से संबंधित कागजात संलग्न करते हुए ऑनलाईन आवेदन  
Acknowledgemnt No.-RCMSON22030932 समर्पित किया गया है। प्राप्त  
आवेदन के आलोक में परमिशन वाद संख्या-748/2022 प्रारम्भ कर  
कार्यालय पत्रांक 3966/रा० दिनांक 02.11.2022 द्वारा अंचल  
अधिकारी, कटकमसांडी को आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन  
एवं जाँच प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराने हेतु निदेशित  
किया गया।

अंचल अधिकारी, कटकमसांडी के पत्रांक 34 दिनांक  
24.01.2023 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन, आम इस्तेहार का तामिला  
प्रतिवेदन, ट्रेस नक्शा एवं चेक स्लीप उपलब्ध कराया गया है।  
आम इस्तेहार में किसी भी व्यक्ति द्वारा आपत्ति दर्ज नहीं किया  
गया है। अंचल अधिकारी, कटकमसांडी द्वारा जाँच प्रतिवेदन में  
प्रतिवेदित किया गया है कि -

विक्रेता एवं क्रेता दोनों अनुसूचित जाति के अन्तर्गत  
हैं एवं हजारीबाग जिला के निवासी हैं। प्रश्नगत भूमि खतियान से  
हाथिल है। भूमि रैयती कायमी है। खतियानी रैयत लालधारी  
दुसाध, हजारी दुसाध वो तेजन दुसाध पेशरान गिरधारी दुसाध हैं।  
खतियान के अनुसार धारित कुल रकबा 10.45 एकड़ भूमि है।  
पंजी-11 अनुसार जमाबंदी रैयत द्वारा धारित कुल रकबा 6.44  
एकड़ भूमि है। लगान रसीद वर्ष 2021-22 तक निर्गत है।  
खतियान दादा के नाम से है एवं जमाबंदी पंजी-11 के पृष्ठ  
संख्या-275, भाग संख्या-1 में विक्रेताकण के पिता के नाम से  
कायम है। आवेदकगण के हिस्से में कुल रकबा 2.50 एकड़ भूमि  
है। बिक्री की अनुमति मिलने के पश्चात् रकबा 2.44 एकड़ भूमि  
बचेगी। आवेदकगण को भूमि बिक्री करने का अधिकार है।  
प्रस्तावित भूमि भूदान/भू-अधिग्रहण क्षेत्र/प्रतिबंधित सूची/वन

आदेश की क्रम  
संख्या  
और तारीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश  
कार्रवाई  
दिप्पणी

2

भूमि/सरकारी भूमि के अन्तर्गत नहीं है। साथ ही BLR Act Section 4h से मुक्त है। प्रश्नगत भूमि आवेदक के दखल कब्जा में है।

प्रश्नगत भूमि का ट्रेस नक्शा प्राप्त है, जिसमें आवेदित भूमि को लाल रंग से दर्शाया गया है एवं नक्शा में प्रस्तावित भूमि का चौहद्दी भी अंकित किया गया है।

अंचल अधिकारी, कटकमसांडी द्वारा विक्रेता को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के तहत प्रश्नगत भूमि की बिक्री करने की अनुमति हेतु अनुशंसा की गयी है।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अंचल अधिकारी, कटकमसांडी के अनुशंसा के आलोक में (1.) कैलाश राम पिता स्व० रूपलाल राम, (2.) गणेश राम पिता स्व० पुनित राम, (3.) किशोरी पासवान पिता स्व० लालो राम, निवास स्थान ग्राम-गदोखर, पोस्ट-कदमा, थाना-कटकमसांडी, जिला-हजारीबाग को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अन्तर्गत अंचल-कटकमसांडी, मौजा-गदोखर, थाना नं०-81, खाता संख्या-82, प्लॉट संख्या-1992, रकबा 0.06 एकड़ (06 डिसमिल) (छः डिसमिल) भूमि गीता देवी पति विनोद रजक पिता रामनाथ रजक, निवास स्थान ग्राम-बड़कागाँव, घोषी टोला, पोस्ट वो थाना-बड़कागाँव, जिला-हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री हेतु अनुमति प्रदान की जाती है। साथ ही अभिलेख की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

अपर समाहर्ता, हजारीबाग।

अपर समाहर्ता, हजारीबाग।